फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकामः- नसीराबाद

मोहनलाल बनाम [illegible] वगैरा

किस्म मुकदमा :- 128 LRA प्रंकरण संख्या :- 34 सन :- 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.4.18	अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिसल वास्ते इंतजारी तलबी दिनांक 22.6.18 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद न्याय आपके द्वार अभियान - 2018	[illegible]
22.6.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट भिलवाड़ा में पेश हुई। पार्टी स्वयं उपस्थित। पक्षों को [illegible] में सुना गया। आदेश सुनाया गया जो शामिल मिसल है। पत्रावली फैसल हुई है जो नकल [illegible] हो व दाखिल दफ्तर हो [illegible] पीठासीन अधिकारी लोक [illegible]/कैम्प कोर्ट : भिलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:33:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 34 / 2018
कैम्प ग्राम पंचायत :— दिलवाडा

उनवान

1 नीम्बालाल पुत्र श्रवणलाल जाति रेगर ग्राम दिलवाडी नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

1. मादू पुत्र सूरा
2. नारायण पुत्र हरजी
3. जस्सा पुत्र हरजी
4. मिठ्ठू पुत्र नाथू समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— संख्या 5 जरिये राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज0 अधि0 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 22.6.18

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.11व 702 रकबा 0.11 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। उक्त आराजी पर प्रार्थी चारदीवारी बनाना चाहता है। किन्तु आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण दखलदांजी कर रहे है। उक्त आराजी के आसपडौस के व्यक्तियों से विवाद हो गया है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी करवायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। उक्त आराजी पर सीमा सम्बन्धित विवाद है जिसकी पत्थरगढी करने से वाद बहुलता कम होगी। किन्तु पत्थरगढी किये जाने से पूर्व अन्य सह खातेदारों को सुनवाई का अवसर देना न्यायोचित है।

अतः ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 701 रकबा 0.11व 702 रकबा 0.11 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर तहसीलदार नसीराबाद प्रार्थी व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक 22.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:33:41 IST
Reason: SelfAttested